



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9037

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19667 सन् 2025

राजा बाबू

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

मनोज कुमार पटेल

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पटेल और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह वर्तमान में 25.06.2025 से वाराणसी केंद्रीय जेल में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात हैं। इससे पहले 16.06.2025 को उन्हें हेड जेलर से डिप्टी जेलर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 24.06.2025 को उनका तबादला वाराणसी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 26.06.2025 को दिनांक 06.05.2025 के दिशानिर्देशों के आलोक में इटावा में तबादले के लिए आवेदन किया, जहां उनकी पत्नी भी कार्यरत हैं। उक्त आवेदन पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचार न किए जाने के कारण, याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 12474/2025 दायर की, जिसका निस्तारण 26.08.2025 को किया गया, जिसमें प्रत्यर्थागण को इसके फलस्वरूप एक स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। अब आक्षेपित आदेश 26.11.2025 को महानिदेशक/महानिरीक्षक, जेल प्रशासन एवं कल्याण सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित किया गया है।

3. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, विशेष रूप से इसलिए कि शासकीय आदेश के खंड 5(v) में ही यह प्रावधान है कि यदि कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है तो उसे गृह जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। उनका निवेदन है कि स्थानांतरण नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के दावे को एकतरफा खारिज कर दिया गया है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के स्वयं के कथनानुसार, उन्होंने स्थानांतरण हेतु आवेदन 26.06.2025 को प्रस्तुत किया था और दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के खंड 7 के अनुसार, स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अवधि 15.05.2025 से 15.06.2025 तक है। चूंकि उनका आवेदन अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उनके दावे पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि आगामी स्थानांतरण नीति में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाएगा।

6. इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

7. उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, और याचिकाकर्ता को अगली स्थानांतरण नीति लागू होने पर अपने गृह जिले में स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थागण से पुनः संपर्क करने का अधिकार दिया जाता है।

14 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।